FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू) मुकाम

जोगेन्द्र बनाम सरकार

नाम मुकदमा प्रार्थनापत्र नं. 91/2020 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
9/7/20	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act का कार्यालय रिपोर्ट होकर पेश हुआ। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली जाकर मिसल दिनांक 10.8.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	
10/8/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। श्रीमान ए.सी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। मिसल वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 8-10-20 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
8/10/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। श्रीमान ए.सी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। मिसल वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 1-12-20 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
2/12/20	दिनांक 1-12-20 को मतदान दिवस अवकाश होने के कारण मिसल आज पेशी में ली गई।	
2/12/20	पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनांक 15-1-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
15/1/21	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। श्रीमान ए.सी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। मिसल वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 17.2.21 को पेश हो। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट प्राप्त। शामिल मिसल रहे। (हस्ताक्षर)	
17/2/21	वकील प्रार्थी व पैरोकार राज उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व त अहकाम क हुक्म की त में जारी हु
	प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R. Act का इस आशय का पेश किया कि ख०नं० 164, 168 कुल तादादी 10.11 है० वाके रोही ढढाल लेखू तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता रमेशकुमार पुत्र सांवलराम का 1/8 हिस्सा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहा है प्रार्थी के पिता का नाम भूलवंश राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से रह गया जबकि जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में प्रार्थी के पिता का नाम व उसका हिस्सा दर्ज चला आया है। प्रार्थनापत्र पेश कर प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जा कर तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जाँच रिपोर्ट व प्रस्तुत रिकार्ड से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती पाई जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि ख०नं० 164, 168 कुल तादादी 10.11 है० वाके रोही ढढाल लेखू तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रार्थी के पिता रमेशकुमार पुत्र सांवलराम 1/8 हिस्सा दर्ज कर शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार राजगढ़ को लिखा जा कर पालनाकार्यवाही जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगा। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	